न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 05/2024(जी.सी.एम.एस.2024/50)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. शेर सिंह पुत्र गज्जन सिंह जाति तरखान निवासी 49 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 2. मक्खन सिंह पुत्र शेर सिंह जाति तरखान निवासी 49 जीजी तहसील श्रीकरणपुर।		1. अंग्रेज सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति बावरी निवासी समेजा कोठी 2 ए.पी.एम तहसील व जिला अनुपगढ। 2. रण सिंह उर्फ राणा सिंह पुत्र मंहगा सिंह जाति बावरी निवासी 49 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 3. राम सिंह पुत्र मंहगा सिंह जाति बावरी निवासी समेजा कोठी 2 ए.पी.एम तहसील व जिला अनुपगढ। 4. रामी पत्नी करतार सिंह जाति बावरी निवासी समेजा कोठी 2 ए.पी.एम तहसील व जिला अनुपगढ। 5. अमरजीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर। 6. अमर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर। 7. गुरजन्ट सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर। 8. गुरमीत कौर पुत्री अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर। 9. जीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर। 10. बलवीर कौर पत्नी गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर। 11. भोला सिंह पुत्र मक्खन सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर। 12. लवलिन्द्र सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर। 13. मेजर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर। 14. सुखपाल सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर। 15. सतपाल सिंह पुत्र मक्खन सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर। 16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–05.03.2024

उपस्थित:1.श्री जसकरण गोदारा, श्री ईकबाल सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री कृष्ण कुमार परूथी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4

3. श्री कुलदीप बाना अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 ता 15

––निर्णय–– **दिनांक : 09.09.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 49 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमावंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 61/33 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 11 ता 25 की कुल 3.795 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 48/65 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 3.099 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 49/57 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 3.098 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार चक 49 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमावंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 58/18 के मुरब्बा नम्बर 12, 16 की कुल 5.134 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम व खाता संख्या 73/70 के मुरब्बा नम्बर 16 की 1.518 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 5 ता 15 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 16 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

किला नम्बर 21 ता 25 की दक्षिणी मेढ के साथ-साथ करीबन 30 वर्षो से चल रहे रास्ता से चलकर अपने मुरब्बा नम्बर 17, 18 को काश्त करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना आत्यतिंक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थीगण से मांग की है। तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता को मंजूर किये जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परूथी व अप्रार्थी संख्या 5 ता 15 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप बाना उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 ता 15 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 49 जीजी के मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक की दक्षिणी वट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि गांव की आबादी भूमि के साथ बिल्कुल चिपता मुरब्बा नम्बर 16 एंव 25 है। प्रार्थीगण गांव की आबादी भूमि से होते हुए मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 25 की दक्षिणी बट के साथ-साथ चल रहे रास्ता का प्रयोग करते हुए मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 25, 24 से होते हुए मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 2, 3, 1 से होते हुए, मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5 की नुक्कड से अपने मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 25 में प्रेवश करते हुए अपनी भूमि में आते-जाते है। तथा प्रार्थीगण उक्त रास्ता से ही पिछले कई वर्षो से अपनी भूमि में आ जा रहे है। लेकिन अब प्रार्थीगण सुविधा के लिए एंव अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 की दक्षिणी बट के साथ-साथ रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। जबकि प्रार्थीगण के पास पहले से ही अपनी भूमि में आने-जाने का विकल्प है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी को तंग, परेशान करने के लिए पेश किया होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2024/354 दिनांक 23.04.2024 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक खरलां मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक खरलां व पटवारी हलका 52 जीजी द्वारा चक 49 जीजी के मुरब्बा नम्बर 16, 17, 18, 19, 24, 25 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थीगण के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 25 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थीगण द्वारा की गई रास्ता की मांग अत्यातिंक है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य विकल्प मौजूद नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।''

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण राजस्व ग्राम 49 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 61/33 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 11 ता 25 की कुल 3.795 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 48/65 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 3.099 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 49/57 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 3.098 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 25, 24, 23, 22, 21 से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थीगण को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 25 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 25, 24, 23, 22, 21 से वैकल्पिक रास्ता व्यावहारिक व सबसे सुलभ एंव छोटा एंव पत्थर लाईन पर मौजूद है। प्रार्थी को रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 5 ता 15 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उक्त रास्ता के स्वीकृत किए जाने बाबत सहमति प्रकट की है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 25, 24, 23, 22, 21 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 0.0253 हैक्टेयर भूमि कुल 0.127 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि इस रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 15, 16, 25 की पूर्वी दिशा में 0.0759 हैक्टेयर भूमि देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 09.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं०:– 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2024/510 दिनांक :- 09.09.2024

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 05/2024 अनवान शेर सिंह आदि बनाम अंग्रेज सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 09.09.2024 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2024 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 25, 24, 23, 22, 21 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 0.0253 हैक्टेयर भूमि कुल 0.127 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि इस रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 15, 16, 25 की पूर्वी दिशा में 0.0759 हैक्टेयर भूमि देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर (श्री गंगानगर)